

28/6/19

पत्रावली खीगह से लख बंकर पैगड़ी। न्यायिणा ने दिनांक  
7-6-2019 को प्राचीना पत्र प्रस्तुत कर पर्यागढी के अधीन  
काहुमनामा पाव गया। विपक्षीभावगद रूपना के अर्थगत  
नहीं था। संक्षिप्त निवर्ण प्राचीना पत्र इस प्रकार से  
है कि प्राचीने एक प्राचीना पत्र अनुगर्ण धारा 128 एच.  
आरू एच. के अहत इस धाम्य का प्रस्तुत किया कि  
मौजा द्वापरी पटवार मण्डल नैगडिया की धाराजी नम्बर  
20/26 रकबा 0.4320 हेअरि प्राचीना की श्वातेदारीकी  
बंकर रणखं रेकार्ड में दर्ज है। जिसका कोई स्वामी  
सीमा पिह नही है। एवां विपक्षी धाराजी के पत्रोंसी है।  
प्राचीने धोर विपक्षी के मध्य धाराजी तीमा की लेकर  
भाये दिन विवाह वेग रहता है। इसलिए उपरोक्त धाराजी  
की पर्यागढी करई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रणख  
अधिलेख का अवलोकन किया गया बहत श्चुती भई।  
प्राचीने अंतरबहत धाराजी का श्वातेदार वेकर स्टे नही  
कराते का अधिकार सिद्ध है। अरु उदरसीलदार इंगला  
को 2000 - दो हजार रूपये पीत पर करीतर नियुक्त  
किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारत  
की उपस्थिति में बरौबरती नबरो के अनुसार विवा किती  
के कब्जे मस में श्चल हिये मौजा द्वापरी पटवारी एवा  
नैगडिया की धाराजी नम्बर 20/26 रकबा 0.4320 हेअरि  
की पर्यागढी मुकमल होरपर की जावे। पत्रवरगि हे  
हुमनामा जारी वे। पत्रावली केसल सुमार वेकर नम्बर  
से कम वे।

उपखण्ड अधिकारी।

इंगला